

राजाज्ञा संख्या 2492/36-1-2000-549 (एस.टी.)-84 दिनांक 15-5-2000 के अनुसार 50 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 426 अंक के ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 = 100 के आधार पर जनवरी, 2021 से जून, 2021 के औसत सूचकांक 1598 पर निम्न तालिका के अनुसार परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें देय होंगी :-

दृष्टांत - 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को औसत 1598 पर दिनांक : 01-08-2021 से दिनांक : 31-01-2022 तक प्रतिमाह मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा-

$$\frac{(1598 - 426) \times 2535.00}{426} = 6974.22 \text{ या } 6974$$

1- 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1598 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक : 01-08-2021 से दिनांक : 31-01-2022 तक
1	अकुशल	2535.00	6974
2	अर्द्धकुशल	2785.00	7662
3	कुशल	3090.00	8501

2- 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1598 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक : 01-08-2021 से दिनांक : 31-01-2022 तक
1	अकुशल	2660.00	7318
2	अर्द्धकुशल	2925.00	8047
3	कुशल	3190.00	8776

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 3062/4-01/12

दिनांक : 05.08.2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

1- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।

2- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।

4- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।